



भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India
संचार विभाग/ Department of Communication

ब्रांड संबंधी उल्लंघन और प्रतिष्ठा प्रबंधन संबंधी सेवाओं के लिए एजेंसी को सूचीबद्ध करना

संचार विभाग (डीओसी) निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करने के लिए ब्रांड संबंधी उल्लंघन और प्रतिष्ठा प्रबंधन संबंधी सेवा प्रदाताओं से ई-निविदाएँ आमंत्रित करता है।

ब्रांड संबंधी उल्लंघन और प्रतिष्ठा प्रबंधन
(i) सोशल मीडिया निगरानी और विश्लेषण
(ii) ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन

महत्वपूर्ण तिथियाँ

निविदा आरंभ होने की तिथि: **मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को 1700 बजे**

बोली आरंभ होने की तिथि: **मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को 1700 बजे**

बोली बंद होने की तिथि: **शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को 1200 बजे**

बोली खोलने की तिथि और समय: **सोमवार, 16 नवंबर 2026 को 1200 बजे**

नियम और शर्तें

कृपया ध्यान दें कि कोई भी भौतिक बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी बोलियाँ केवल इवेंट संख्या (2026_RBI_294351_1) के सापेक्ष सीपीपीपी पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) के माध्यम से प्रस्तुत की जाए।

बैंक, सेवा प्रदाताओं से, दो-बोली प्रसंस्करण प्रणाली के अंतर्गत बोलियाँ आमंत्रित करता है। बोलियाँ दो भागों में प्रस्तुत की जानी चाहिए - तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली। किसी बोली लगाने वाले के तकनीकी रूप से योग्य होने पर ही वाणिज्यिक बोली खोली जाएगी। तकनीकी मूल्यांकन में योग्य पाए गए बोली लगाने वालों में से जो बोली लगाने वाला सबसे कम राशि की बोली लगाता है, वह सफल बोली लगाने वाला होगा और उसे कार्य सौंपा जाएगा (एल1 बोली लगाने वाला)।

भाग लेने वाली एजेंसियों को आरएफपी 2026_RBI_294351_1 में निर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बोलियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।

सफल बोली लगाने वाले को कार्य आदेश राशि का 5% राशि की बैंक गारंटी देनी होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रस्तावित योजना में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में, आवश्यक परिवर्तनों / सुधारों के साथ सीपीपीपी पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर एक नई ई-निविदा अपलोड की जाएगी और एजेंसियों को पुनः बोली लगाने की आवश्यकता होगी।

टीडीएस और जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस की कटौती लागू दर के अनुसार की जाएगी।

**डीओसी: ब्रांड संबंधी उल्लंघन और प्रतिष्ठा प्रबंधन संबंधी सेवा**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (जिसे आगे मॉनिटर कहा जाएगा) नियुक्त किया है। श्री नागेश्वर राव कोरिपल्ली, सेवानिवृत्त आईआरएस, 38, द ट्रेल्स, मणिकोंडा, आर.आर. जिला, हैदराबाद-500089 और श्री प्रमोद श्रीपाद फलनीकर, सेवानिवृत्त आईपीएस, ए-2,602 फेज-1, आदित्य शगुन, सीएचएस, एनडीए- पाषाण रोड, बावधन, पुणे, महाराष्ट्र-411021।

स्वतंत्र मॉनिटर के ईमेल निम्नानुसार हैं:

knageshwarrao@gmail.com

pramodphalnikar@gmail.com

स्पष्टीकरण, यदि कोई आवश्यक हो, तो ईमेल के माध्यम से smccdoc@rbi.org in पर भेजे जा सकते हैं।

एजेंसियों को बैंक के सभी दस्तावेजों, सूचना, डेटा और उसके साथ संचार को विशेषाधिकार प्राप्त और गोपनीय मानना होगा।

ई-निविदा (सीपीपी पोर्टल) के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-खरीद प्रक्रिया कार्यक्रम है। केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) <https://etenders.gov.in/eprocure/app> ई-खरीद सेवा प्रदाता / कॉन्ट्रैक्टर है।

ई-टेंडर की प्रक्रिया: बोली लगाने वाला मैनुअल किट इस पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है।

ए) नए बोली लगाने वाले के लिए पंजीकरण: इस प्रक्रिया में सीपीपी पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। <https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&s>

तकनीकी संबंधी प्रश्नों के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120 - 4001 002

0120 - 4001 005

0120 - 4493 395

प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी मामले या स्पष्टीकरण के लिए, बोली लगाने वाले से अनुरोध है कि उनके संबंधित निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी से संपर्क करें।

तकनीकी - support-eproc@nic.in

नीति संबंधी - cphp-doe@nic.in